न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 43/2025 /दावा/बउनवान/नरेश वगै0 बनाम राज0 सराकर

जीसीएमएस संख्या :– 2025/28

1. नरेश पुत्र
2. महेन्द्र कुमार पुत्र
3. गीताबाई पुत्री
4. संतोषबाई पुत्री
5. मोहनीबाई पत्नी

} स्व0 बद्रीलाल जाति कलाल निवासीगण ग्राम रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल जिला बारां

.... वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज०)

........प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर टी.एक्ट</u>

वकील वादीगण : श्री हरिओम प्रजापति (वादी स्वयं)

दायरा दिनांक 01.02.2025 निर्णय दिनांक 20.05.2025

निर्णय

कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि वाके ग्राम रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल जिला बारां स्थित खाता सं. 96 की खसरा नम्बर 372/676 रकबा 0.01, खसरा नम्बर 716 रकबा 1.82 हेक्टयर, खसरा नम्बर 717 रकबा 1.00 हेक्टयर, खसरा नम्बर 926 रकबा 0.89 हेक्टयर किता 4 कुल रकबा 3.72 हेक्टयर जो जमाबंदी सम्वत 2076–2079 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।
2. यह कि मद नं० 1 मे वर्णित आराजी के कैचमेन्ट पूर्व आराजी खसरा नम्बर 277/673 रकबा 2.86 हेक्टयर, खसरा नम्बर 134/674 रकबा 0.95 हेक्टयर, खसरा नम्बर 364/675 रकबा 0.19 हेक्टयर, खसरा नम्बर 372/676 रकबा 0.01 हेक्टयर, खसरा नम्बर 458/677 रकबा 0.66 हेक्टयर किता 5 कुल रकबा 4.67 हेक्टयर वाके ग्राम रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल जिला बारां मे राजस्व रिकार्ड भू प्रबंध विभाग प्रतिलिपि सम्वत 2044–63 मे वादीगण के पूर्वज (दादाजी) कन्हैयालाल पुत्र भैरूलाल जाति कलाल के नाम दर्ज थी एवं उनके बाद वादीगण के पिता/पति स्व० बद्रीलाल दत्तक पुत्र कन्हैयालाल के खाते दर्ज हुई थी।
3. यह कि ग्राम रामपुरा में गत कैचमेन्ट हुआ जिसमें वादीगण की मद नं० 2 में वर्णित आराजी में खसरा नम्बर 364/675 रकबा 0.19 हेक्टयर मे रकबा 0.11 हेक्टयर को कैचमेन्ट के अंतर्गत लिया गया और शेष रकबा 0.07 हेक्टयर को आउट ऑफ कैचमेन्ट के रखा गया तथा कैचमेन्ट बाद उक्त खसरा नम्बर 364/675 के नये खसरा नम्बर 717 दर्ज किये गये जो निम्न प्रकार है:–

कैचमेन्ट से पूर्व का इन्द्राज		कैचमेन्ट में शामिल रकबा		कैचमेन्ट बाद अंकन	
ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा
277/673	2.86 हे0	2.86	0.14	716	1.82
364/675	0.19 हे0	0.11	0.01	717	1.00

4. यह कि कैचमेन्ट कर्मचारियों ने गफलत व लापरवाही से वादीगण के खसरा नम्बर 364/675 रकबा 0.19 का कैचमेन्ट रकबा 0.11 को तो नये खसरा नम्बर 717 मे दर्ज कर लिया लेकिन खसरा नम्बर 364/675 का शेष रकबा 0.07 को कैचमेन्ट से बाहर बताकर बिना किसी खसरा के रख दिया जो वादीगण के वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज नही है तथा वर्तमान मे उक्त रकबा 0.07 हेक्टयर पूर्व स्थिति अनुसार है जिस पर वादीगण काबिज काश्त है जो कि वादीगण कैचमेन्ट बाद अपने शेष रकबे 0.07 हेक्टयर को अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।

5. यह कि वादीगण अपने खाते की भूमि पुराने खसरा नम्बर 364/675 रकबा 0.19 हेक्टयर पर काबिज काश्त है लेकिन कैचमेन्ट बाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के आउट ऑफ कैचमेन्ट रकबा 0.07 हेक्टयर का खाते व नक्शे में इन्द्राज नहीं किया गया जिसको वादीगण अपने खाते मे पुनः दर्ज कराने का अधिकारी है।

6. यह कि वादीगण द्वारा इस बाबत कई बार प्रतिवादी को आवेदन दिया गया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा श्रीमान जिला कलेक्टर महो० बारां को 80 सीपीसी को नोटिस दिनांक 16.01.2025 को दिया गया था लेकिन वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से अनुमति लेकर पेश किया जा रहा है।

7. यह कि वादपत्र पत्र का श्रीमान को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

8. यह कि वादपत्र पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वादपत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकर किया जाकर निम्न आशय की डिकी सादिर फरमाई जावे कि पुराने खसरा नम्बर 364/675 का आउट ऑफ कैचमेन्ट रकबा 0.07 हेक्टयर को वादीगण के राजस्व रिकार्ड खाते व नक्शे मे इन्द्राज/दर्ज करने के आदेश प्रदान किया जावे व अन्य कोई न्यायोचित सहायता हो तो वादीगण को दिलवाई जावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादी को तलब किया गया। तहसीलदार मांगरोल के पत्र कमांक राजस्व/2025/255 दिनांक 02.04.2025 से जवाब सरकार मय तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हलका मालबमोरी के ग्राग रामपुरा भगतान में पहुंचकर जमांबदी सम्वत 2056-59 ख.न. 364/675 रकबा 0.19 है० खातेदार कन्हैयालाल पुत्र भैरूलाल जाति कलाल निवासी रामपुरा भगतान के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक फर्द इख्तलाफ कैचमेन्ट (1998-99) कसं 3 से ख.नं. 364/675 का मात्र 0.11 है. रकबा ही कैचमेन्ट में शामिल किया गया है। खं न 364/675 का शेष रकबा 0.08 है. कैचमेन्ट से बाहर रखा गया है। कैचमेन्ट में शामिल ख. नं. 364/675 रकबा 0.11 है0 का नवीन खसरा नं. 717 रकबा 1.00 है. बनाया गया जो कि वादी के खाते दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मौका निरीक्षण ख.न. 364/675 का शेष रकवा सैटलमेंट नक्शे की आकृति अनुसार मौके पर ही मौजूद है जिसका हाल राजस्व नक्शे में कोई अंकन नहीं है। तहसील मांगरोल की ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान सैटलमेंट ख.नं. 365 और 364/675 की खाली आकृति होने व ख.नं. का इन्द्राज नहीं होने के कारण समीपवर्ती ख.नं. 373 रकबा 0.42 है. में विलय कर (बिना रकबा बढ़ाये) तहसील मांगरोल को ऑनलाइन किया गया था ।

यह कि सैटलमेंट ख.नं. 403 कुल रकबा 16.95 है. में से धारा 136 के तहत नामा. नं. 142 से 0.36 है. रकबा शांतिलाल पुत्र राधाकिशन वगै. व नामा नं. 181 से 0.37 है. रकबा बुद्धिप्रकाश पुत्र किशनगोपाल मीणा के नाम दर्ज होने के बाद ख.नं. 403 का रकबा 16.22 है0

होना चाहिए था लेकिन उसका ख.नं. 403 का नवीन कैचमेन्ट ख.नं. 788 का हाल रकबा 16.64 है. दर्ज है। इस प्रकार कैचमेन्ट ख.न. 788 में 0.42 है. रकबा बेशी दर्ज था।

ब्रदीलाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी रामपुरा भगतान ने मा. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल में धारा 130, 131, 136 एल०आर.एक्ट प्रकरण सं. 85/2022 में बाद दायर कर निर्णय दि. 05.07.2023 की पालना में ग्राम रामपुरा भगतान के नाम 1025 दि. 03.10.2023 ख. सं. 788 गै. मु. नहर के रकबा 16.64 में 0.35 है. की कमी करके 365 ख.स. रकबा 0.35 है. दर्ज किया गया और नक्शे मे तरमीम की गई। (वर्तमान ख०नं. 788 रकबा 16.29 है. दर्ज है) 364/675 खसरा भी उसी जगह मौजूद है। अतः खसरा सं. 365 में तरमीम करके 364/675 रकबा 0.07 है. पूर्व खातेदारान के नाम दर्ज किया जाना अपेक्षित है जिसकी कमी पूर्ति कैचमेन्ट सखरा .सं. 788 में 0.07 बेशी दर्ज है से की जा सकती है।

अतः खसरा सं. 364/675 रकबा 0.07 है. पूर्व खातेदारान नरेश, महेन्द्र वगै0, के नाम दर्ज किया जाने की अनुशंषा की जाती है तथा खसरा नं. 788 का रकबा 16.29 है. के स्थान पर 16.22 है. दर्ज किये जाने करने की अनुशंषा के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान को सादर प्रेषित है।

पत्रावली कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में आज दिनांक 20.05.2025 को पेश हुई। सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजात एवं तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट को अवलोकन, अध्ययन एवं गहनता से मनन करने पर पाया कि ग्राम रामपुरा भगतान में जमांबदी सम्वत 2056–59 ख.न. 364/675 रकबा 0.19 है० खातेदार कन्हैयालाल पुत्र भैंरूलाल जाति कलाल निवासी रामपुरा भगतान के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक फर्द इख्तलाफ कैचमेन्ट (1998–99) खसरा सं 3 से ख.नं. 364/675 का मात्र 0.11 है. रकबा ही कैचमेन्ट में शामिल किया गया है। खं न 364/675 का शेष रकबा 0.08 है. कैचमेन्ट से बाहर रखा गया है। कैचमेन्ट में शामिल ख. नं. 364/675 रकबा 0.11 है0 का नवीन खसरा नं. 717 रकबा 1.00 है. बनाया गया जो कि वादी के खाते दर्ज रिकार्ड है। मुताविक मौका निरीक्षण ख.न. 364/675 का शेष रकबा सैटलमेंट नक्शे की आकृति अनुसार मौके पर ही मौजूद है जिसका हाल राजस्व नक्शे में कोई अंकन नहीं है। तहसील मांगरोल की ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान सैटलमेंट ख.नं. 365 और 364/675 की खाली आकृति होने व ख.नं. का इन्द्राज नहीं होने के कारण समीपवर्ती ख.नं. 373 रकबा 0.42 है. में विलय कर (बिना रकबा बढ़ाये) तहसील मांगरोल को ऑनलाइन किया गया था ।

यह कि सैटलमेंट ख.नं. 403 कुल रकबा 16.95 है. में से धारा 136 के तहत नामा. नं. 142 से 0.36 है. रकबा शांतिलाल पुत्र राधाकिशन वगै. व नामा नं. 181 से 0.37 है. रकबा बुद्धिप्रकाश पुत्र किशनगोपाल मीणा के नाम दर्ज होने के बाद ख.नं. 403 का रकबा 16.22 है0 होना चाहिए था लेकिन उक्त ख.नं. 403 का नवीन कैचमेन्ट ख.नं. 788 का हाल रकबा 16.64 है. दर्ज है। इस प्रकार कैचमेन्ट ख.न. 788 में 0.42 है. रकबा बेशी दर्ज था।

ब्रदीलाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी रामपुरा भगतान ने मा. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल में धारा 130, 131, 136 एल०आर.एक्ट प्रकरण सं. 85/2022 में वाद दायर कर निर्णय दि. 05.07.2023 की पालना में ग्राम रामपुरा भगतान के नाम 1025 दि. 03.10.2023 ख. सं. 788 गै. मु. नहर के रकबा 16.64 में 0.35 है. की कमी करके 365 ख.स. रकबा 0.35 है. दर्ज किया गया और नक्शे मे तरमीम की गई। (वर्तमान ख०नं. 788 रकबा 16.29 है. दर्ज है) 364/675 खसरा भी उसी जगह मौजूद है। अतः खसरा सं. 365 में तरमीम करके 364/675 रकबा 0.07 है. पूर्व खातेदारान के नाम दर्ज किया जाना अपेक्षित है जिसकी कमी पूर्ति कैचमेन्ट स.सं. 788 में 0.07 बेशी दर्ज है से की जा सकती है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सैटलमेन्ट अथवा कैचमेन्ट संक्रियाओं द्वारा खातेदार के रकबे में कमी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सरकार रिपोर्ट अनुशंसा के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः खसरा सं. 364/675 रकबा 0.07 है. पूर्व खातेदारान नरेश, महेन्द्र वगै0, के नाम दर्ज किया जाना तथा खसरा नं. 788 का रकबा 16.29 है. के स्थान पर 16.22 है. दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल के आराजी खसरा सं. 364 / 675 रकबा 0.07 है पूर्व खातेदारान नरेश, महेन्द्र वगै0 के नाम दर्ज कर खसरा नं. 788 का रकबा 16.29 है. के स्थान पर 16.22 है. दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है कि तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्त आशय की डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को कोर्ट कैम्प, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत भवन, ईवरपुरा में मजमेआम सुनाया गया।

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय ब इजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 43 / 2025 / दावा / बउनवान / नरेश वगै0 बनाम राज0 सरकार

जीसीएमएस संख्या 2025 / 28

निर्णय दिनांक :– 20.05.2025

बउनवान:–

1. नरेश पुत्र
2. महेन्द्र कुमार पुत्र
3. गीताबाई पुत्री
4. संतोषबाई पुत्री
5. मोहनीबाई पत्नी

} स्व0 बद्रीलाल जाति कलाल निवासीगण ग्राम रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल जिला बारां

.... वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज०)

........प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर टी.एक्ट</u>

वकील वादी : श्री हरिओम प्रजापति (वादी स्वयं)

कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में प्रतिवादी कम 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.05.2025 को अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते रकबा शुद्धि पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकी जारी की जाती है कि कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में ग्राम रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल के आराजी खसरा सं. 364 / 675 रकबा 0.07 है. पूर्व खातेदारान नरेश, महेन्द्र वगै0 के नाम दर्ज कर खसरा नं. 788 का रकबा 16.29 है. के स्थान पर 16.22 है. दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आदेश आज कोर्ट कैंप ईश्वरपुरा में दिनांक 20.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
ाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पअर्जीदावा		
ाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
ाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
हनताना वकील			महनताना वकील		
र्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
स कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
त इजराय हुकमनामा			बबत इजराय हुकमनामा		
तफर्रिक			मुतफर्रिक		
जान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।